ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-9 अंक : 105

सहयोग शुल्क : रु. 1 / अक्टूबर : 2025

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

बजट में दिव्यांगों के लिए विशेष आबंटन का अर्थ होता है दिव्यांगों के अधिकारों का सम्मान ।

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

बजट में दिव्यांगों लिए विशेष आबंटन उनका अधिकार है जिसका सरकार सम्मान करती है ।

– माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन का मार्ग लंबा है, लेकिन पहला कदम जीवित रहने से आगे बढ़कर सम्मान की ओर बढ़ना होगा । दिव्यांगजनों को अधिकारों वाले पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता देने के लिए—न कि केवल कल्याणकारी योजनाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में—बजट प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन रणनीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है । केंद्रीय बजट 2025 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार भी दिव्यांगजनों का ज़िक्र नहीं किया, जैसा कि सेंटर फॉर इन्क्लूसिव पॉलिसी ने उजागर किया है । केंद्रीय बजट 2025 में दिव्यांगजनों को शामिल न किए जाने से भारत में दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर चिंताएँ उठती हैं ।

भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा होने के बावजूद, दिव्यांगजनों (PwD) को एक बार फिर भारत की वित्तीय प्राथमिकताओं में हाशिये पर धकेल दिया गया है । केंद्रीय बजट 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड-उच्च व्यय का दावा किया गया है । फिर भी, दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन आश्चर्यजनक रूप से कम है— **कुल बजट का मात्र 0.025% ।** विकलांगता अधिकार संगठनों का कहना है कि दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन में वृद्धि मामूली है और दिव्यांगजनों की विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं है । बजट की कमी से सार्वजनिक स्थानों को व्हीलचेयर-अनुकूल बनाने और ब्रेल साइनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को लागू करने में मुश्किल आ सकती है ।

संक्षेप में, 2025 के बजट में दिव्यांगजनों के लिए कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन विकलांगता अधिकार समूहों का मानना है कि यह उन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है । भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील है तो उनसे यह अपेक्षा रहती है कि वे जहाँ कहीं आवश्यकता होगी वहां दिव्यांगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अवश्य दिशा निर्देश देकर समस्याओं को हल करने की दिशा में कार्यरत रहेंगे ।

दिव्यांग सेतु
मासिक पत्रिका

सितम्बर : 2025, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष-9 अंक : 104

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

केंद्रीय बजट 2025 में दिव्यांगों को शामिल करना: व्यवस्थित उपेक्षा जारी

एक और साल, एक और बजट, भारत के 8 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग नागरिकों के लिए एक और निराशा

केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1,275 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। हालाँकि यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 1,167.27 करोड़ रुपये से 9.22% की वृद्धि दर्शाता है, फिर भी यह आँकड़ा सकल घरेलू उत्पाद का एक अंश ही है। हालाँकि, 2020-2021 के ₹30 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-2026 में ₹50 लाख करोड़ हो जाने वाले बजट के संदर्भ में, हम देखते हैं कि दिव्यांगजन कल्याण के लिए बजट आवंटन ₹1,325 करोड़ से घटकर ₹1,275 करोड़ हो गया है।

केंद्रीय बजट 2025 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार भी दिव्यांगजनों का ज़िक्र नहीं किया, जैसा कि सेंटर फॉर इन्क्लूसिव पॉलिसी ने उजागर किया है। केंद्रीय बजट 2025 में दिव्यांगजनों को शामिल न किए जाने से भारत में दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर चिंताएँ उठती हैं।

भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा होने के बावजूद, दिव्यांगजनों (PwD) को एक बार फिर भारत की वित्तीय प्राथमिकताओं में हाशिये पर धकेल दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड-उच्च व्यय का दावा किया गया है। फिर भी, दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन आश्चर्यजनक रूप से कम है— **कुल बजट का मात्र 0.025%**।

इससे भी ज़्यादा चिंता की बात क्या है? जो थोड़ा-बहुत आवंटित होता है, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। भारत के **8 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग नागरिक** वही सवाल पूछ रहे हैं जो वे हर साल पूछते हैं: **देश के विकास की कहानी में हम कहाँ फिट बैठते हैं?**

सटीक आंकड़े: भारत में विकलांगता के लिए बजट

आवंटन

2025 के केंद्रीय बजट में जहाँ कुल मिलाकर काफ़ी वृद्धि हुई है, वहीं दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) को ₹1,275 करोड़ आवंटित किए गए। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान ₹1,167.27 करोड़ से 9.22% अधिक है।

हालांकि किसी भी वृद्धि का स्वागत है, लेकिन आइए इसे परिप्रेक्ष्य में रखें:

- 2020 से भारत का कुल बजट 66% बढ़ा है।
- दिव्यांगजन कल्याण के लिए वित्त पोषण 2020 में ₹1,325 करोड़ से घटकर 2025 में ₹1,275 करोड़ हो गया है।
- यह कुल बजट का मात्र 0.025% है, जबकि दिव्यांगजन जनसंख्या का लगभग 8% हैं।

प्रश्न यह है कि: **प्रणालीगत दुर्गमता, भेदभाव और आर्थिक बहिष्कार को दूर करने के लिए अंश का एक अंश कैसे पर्याप्त हो सकता है?**

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सुगम्यता निधि में कटौती

केंद्रीय बजट 2025 के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) के बजट में भारी कटौती, जो पूरे भारत में सुगम्यता परियोजनाओं को वित्तपोषित करती है।

- 2022-23 में, SIPDA को ₹240.39 करोड़ प्राप्त हुए।
- 2023-24 में इसे घटाकर ₹135.33 करोड़ कर दिया गया।
- 2025-26 में इसे घटाकर ₹115 करोड़ कर दिया गया है।

इसका मतलब है कि भारत के सार्वजनिक स्थलों, सरकारी इमारतों और परिवहन को सुलभ बनाने के लिए ज़िम्मेदार योजना के वित्तपोषण में सिर्फ़ तीन सालों में 52% की कटौती हुई है। हैरानी की बात यह है कि यह तब हुआ जब नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले (राजीव रतूड़ी फ़ैसले) में

सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं को सुलभ बनाने का आदेश दिया गया था।

सरकार अपने ही कानूनों को विफल कर रही है।

धन का कम उपयोग: एक मौन संकट

दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटित मामूली बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पाता। साल दर साल, दिव्यांगजनों के लिए आवंटित धनराशि का एक चौंकाने वाला हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है:

- 2020-21 में 64% धनराशि अप्रयुक्त रह गई।
- 2021-22 में 86% अप्रयुक्त थे।
- 2022-23 में 79% अप्रयुक्त थे।
- 2023-24 में 93% अप्रयुक्त रह गये।

इसका अर्थ यह है कि विकलांगता कल्याण के लिए निर्धारित अरबों रुपये बिना उपयोग के पड़े हैं, जबकि लाखों विकलांग भारतीय बुनियादी सुविधा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार सुलभता बजट में कटौती को कैसे उचित ठहरा सकती है, जब वह पहले से आवंटित राशि का उपयोग करने में विफल हो रही है?

विकलांगता पेंशन: कीमतें आसमान छू रही हैं, 2012 में अटकी हुई हैं

लाखों विकलांग भारतीयों के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। फिर भी, पेंशन ₹300 प्रति माह पर स्थिर बनी हुई है—यह राशि 2012 से अपरिवर्तित है।

मुद्रास्फीति के आसमान छूने के कारण, आज 300 रुपये से मुश्किल से एक सप्ताह का किराने का सामान ही खर्च हो पाता है, चिकित्सा देखभाल, सहायक उपकरण, किराया या परिवहन की तो बात ही छोड़ दीजिए।

आर्थिक संकट के बावजूद, केंद्रीय बजट 2025 में विकलांगता पेंशन बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस बीच, निर्वाचित अधिकारियों को वेतन वृद्धि मिलती रहती है।

मानसिक स्वास्थ्य संकट की अनदेखी

लगातार दो वर्षों से, आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2023 में 1.6 लाख से ज़्यादा आत्महत्याएँ

होंगी, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य विकारों की प्रमुख भूमिका होगी।

फिर भी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाने के बजाय, टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बजट 90 करोड़ रुपये से घटाकर 79.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ऐसे समय में जब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार बढ़ रहे हैं, जब आत्महत्या की दरें चिंताजनक हैं, और जब सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सख्त आवश्यकता है, यह बजट कटौती भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में से एक के प्रति पूर्ण उपेक्षा का संकेत देती है।

विकलांग नौकरी चाहने वालों के लिए कोई राहत नहीं

भारत में दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। हालाँकि, केंद्रीय बजट 2025 में इसके समाधान के लिए कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, के वित्तपोषण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

यद्यपि विनिर्माण एवं कौशल विकास प्रोत्साहन का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, लेकिन इसमें विकलांग श्रमिकों के समावेशन का उल्लेख नहीं किया गया है।

सरकार 2047 तक "विकसित भारत" की परिकल्पना करती है, लेकिन जब 80 मिलियन नागरिक कार्यबल से बाहर रहेंगे तो कोई राष्ट्र कैसे प्रगति कर सकता है?

अवसर - लेकिन केवल तभी जब सही तरीके से किया जाए

केंद्रीय बजट 2025 में कुछ प्रमुख पहल शामिल हैं, जो समावेशी रूप से लागू होने पर दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकती हैं:

- **एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी** - क्या विकलांग उद्यमियों को अंततः पूंजी और व्यवसाय विकास के अवसर प्राप्त होंगे?
- **विनिर्माण एवं कौशल विकास को बढ़ावा** - क्या विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी?
- **गिग वर्कर्स के लिए जन आरोग्य योजना** - क्या विकलांग गिग वर्कर्स , जिन्हें अक्सर बीमा प्राप्त

करने में संघर्ष करना पड़ता है, को इसमें शामिल किया जाएगा?

तथापि, विशिष्ट समावेशन अधिदेशों के बिना, इन योजनाओं के एक और चूके हुए अवसर बन जाने का खतरा है।

केंद्रीय बजट 2025 में विकलांगता को शामिल करना: चेंजइनकंटेंट का दृष्टिकोण

चेंजइनकंटेंट में, हमारा मानना है कि समावेशन कोई विशेषाधिकार नहीं है—यह एक अधिकार है। केंद्रीय बजट 2025 एक बार फिर विकलांग व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्राथमिकता देने में विफल रहा है।

- **यदि 80 मिलियन लोगों को** विकास योजना से बाहर रखा जाए तो उसका क्या फायदा?
- जब हर साल सुगम्यता के लिए बजट में कटौती की जाती है तो **" सुगम्य भारत " अभियान** का क्या फायदा ?
- पेंशन योजना का क्या फायदा जब 300 **रुपये प्रति माह से** एक सप्ताह का भोजन भी नहीं मिल पाएगा?

केंद्रीय बजट 2025 में विकलांगता समावेशन पर अंतिम विचार

केंद्रीय बजट 2025 दिव्यांगजनों के समावेशन में सार्थक प्रगति करने का एक और चूका हुआ अवसर प्रस्तुत करता है। पर्याप्त निवेश और समावेशी नीतियों के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता के बिना, भारत के 8 करोड़ दिव्यांगजनों को समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता रहेगा।

सौजन्य:चेंजइनकंटेंट ब्यूरो द्वारा लिखित 7 फ़रवरी, 2025

साल 2025 के बजट में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को पिछले साल के ₹1,225 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,275 करोड़ आवंटित किए गए, जो कि मामूली वृद्धि है. बजट में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है. हालांकि, विकलांगता अधिकार संगठनों का मानना है कि यह वृद्धि अपर्याप्त है और दिव्यांग आबादी के अनुपात में बहुत कम है.

मुख्य वित्तीय आवंटन और योजनाएं:

- **दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन:**

2025 के केंद्रीय बजट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को ₹1,275 करोड़ आवंटित

किए गए, जो पिछले साल के ₹1,225 करोड़ से थोड़ी अधिक है.

- **सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग:**

दिव्यांगों को सहायक उपकरण खरीदने और फिट कराने में मदद करने के लिए आवंटित राशि को पिछले साल के 305 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 315 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

- **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:**

इस योजना के लिए आवंटित राशि में भी वृद्धि की गई है, जो 130 करोड़ रुपये से बढ़कर 165 करोड़ रुपये हो गई है.

आलोचना और चिंताएं:

- **अपर्याप्त वृद्धि:**

विकलांगता अधिकार संगठनों का कहना है कि दिव्यांगजन कल्याण के लिए आवंटन में वृद्धि मामूली है और दिव्यांगजनों की विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त नहीं है.

- **बजट का छोटा हिस्सा:**

कुल बजट के मुकाबले दिव्यांगजनों के लिए आवंटित धन का हिस्सा बहुत कम है, लगभग 0.025%.

- **अवसरों की कमी:**

संगठनों ने बजट में रोजगार और कौशल विकास के लिए कोई ठोस योजना न होने पर चिंता जताई है, जिससे दिव्यांगजनों को रोजगार पाने में कठिनाई होती है.

- **सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की चुनौतियां:**

बजट की कमी से सार्वजनिक स्थानों को व्हीलचेयर-अनुकूल बनाने और ब्रेल साइनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को लागू करने में मुश्किल आ सकती है.

संक्षेप में, 2025 के बजट में दिव्यांगजनों के लिए कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन विकलांगता अधिकार समूहों का मानना है कि यह उन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है.

★★★

दिव्यांग गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया ।

ॐकार फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए गरबा महोत्सव-2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम 24 सितम्बर 2020 को पालड़ी के अन्नपूर्णा हॉल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुल 200 विकलांग बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर ओंकार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक ॐगुरु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। तब गजानंद साउंड एंड म्यूजिक से भारतीबेन और वीरेनभाई जानी अपना कीमती समय दिया और बच्चों को गरबा खेला गया बहुत अच्छा उसके बाद ट्रस्ट ने सभी बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की।

Omkar Foundation Trust (NGO)

Omkar Foundation Trust (NGO)
દિવ્યાંગ ગરબા મહોત્સવ-2025

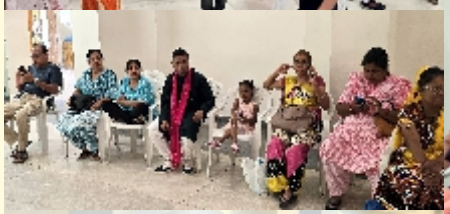

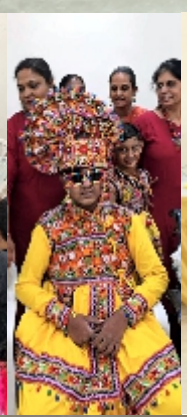

मनोदिव्यांग बच्चों ने मनाया शिक्षक दिवस

समाज विकास ट्रस्ट के एथलिट मानसी राजपूत गुजरात टीम में लोन टेनिस (नेशनल चेम्पियनशिप) अहमदाबाद की खिलाडी ने स्पेशिय ओलम्पिक की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर के मेडल और प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अवसर पर कोच एवं अन्य सभी खिलाडियों को अभिनंदन। स्पेशियल ओलम्पिक में लोन टेनिस में शानदार प्रदर्शन कर के केवल अहमदाबाद ही नहीं किंतु गुजरात राज्य और समग्र भारत देश को गौरव प्रदान करने के इस अवसर पर समाज विकास ट्रस्ट के मेनेजिंग ट्रस्टी श्री इलेशभाई रावल ने सभी को शुभकामनाएँ प्रदान की है। स्पेशियल ओलम्पिक प्रतियोगिता में सुंदर प्रदर्शन कर के देश का नाम रोसन करने वाले सभी खिलाडियों को अभिनंदन और शुभकमानाएँ।

બાળકો માટેનું તાલીમ કેન્દ્ર
HAPPY BIRTHDAY

मनोदिव्यांगजनों के लिए गरबा वर्कशोप का आयोजन हुआ

पूरे विश्व में सब से ज्यादा दिन तक चलने वाले पूजा और गरबों के पर्व नवरात्रि के लिए सभी लोग उत्साहित रहते हैं । नौ दिन तक माता की पूजा के साथ साथ गरबे खेलने का आनंद हर कोई उठाना चाहता है । इस अवसर का लाभ सभी को मिल सके और विशेष रूप से मनोदिव्यांग लोग भी इसमें जुडकर गरबों का आनंद उठा सके इसलिए मनोदिव्यांग लोगों के लिए गरबा सिखने के लिए गरबा वर्कशोप का आयोजन किया गया था।

इस वर्कशोप में एकताली, दो ताली, तीन ताली, हींच, रास, टीमली जैसे विभिन्न गरबों का आनंद भी मनोदिव्यांग लोग उठा सके इसलिए उन्हें नवजीवन तल्चर एक्टीविटी ग्रूप फोर इन्टेलेक्टच्युअल डिसेबल्ड द्वारा मनोदिव्यांग लाभार्थीयों के लिए नि:शुल्क गरबा वर्कशोप का सुंदर आयोजन किया गया था । इस वर्कशोप में 30 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था । इस वर्कशोप का आयोजन कोरियोग्राफर कृतिकाबहन प्रजापति द्वारा आयोजित किया गया था।

ब्लाइन्ड फोल रैली का आयोजन हुआ

नेत्रदान पखवाडा अंतर्गत सक्षम के सहयोग से कर्णावती महानगर में मोबिलिटी जागृति के लिए द्रष्टिहिन एवं साधारण व्यक्तियों के बीच का भेद परखने हेतु एक ब्लाइन्ड फोल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में थलतेज महिला आइ.टी.आइ की २५ छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। इन छात्राओं की आँखों पर पट्टी बांध दी गई थी और उन्हें अंध प्रकाश गृह की २५ छात्राएँ अपने हाथों से रास्ता दिखाकर केम्पस तक ले आई थी। थलतेज महिला आइ.टी.आइ की छात्राओं को यह अनुभूति हुई कि अंध होने पर कितनी समस्याओं का सामना करना पडता है। यदि देश में नेत्रहीन लोगों की इन समस्याओं को दूर करना है तो लोगों को जागृत किया जाए तो देश के बहुत से जरुरतमंद लोगों के लिए आंखो की रोशनी प्राप्त करना संभव हो सकता है । अंध प्रकाश गृह की ब्लाइन्ड टीचर दिव्याबहन ने इन छात्राओं को समाज में नेत्रदान की आवश्यकता और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी।

इस कार्यक्रम का संकलन सक्षम के सचीव श्री कृष्णकांत पटेल और निलेश पंचाल, अंध कन्या प्रकाश गृह के गिपालीबहन के मार्गदर्शन में हुआ था। सक्षम के उपाध्यक्ष श्री मफतभाई पटेल की ओर से छात्रों को उपहार दिया गया था। सक्षम के अध्यक्ष श्री अल्पेशभाई पटेल ने सक्षम द्वारा हो रही सामाजिक प्रवृत्तियो के बारे में विसतृत जानकारी प्रदान की थी। इस जागरुकता रैली में सक्षम, अंध कन्या प्रकाश गृह और महिला आइ.टी.आइ के अन्य सदस्य भी सामिल हुए थे।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

संचालित (N.G.O.)

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीम संस्था

▲ World Autisum Day ▲Table Tennis Competition ▲ Painting Competition ▲Sports Day Celebration
▲Rakshabandhan Celebration ▲ 15th August Celebration ▲Janmashtami Celebration
▲ Anand Niketan School Visit ▲ Picnic ▲ Traffic Awareness Program Navratri Celebration

★★★ शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करें ★★★

सुमेल ५, हाउस नं.: ४८/डी, बिजनेस पार्क, चामुंडा ब्रीज कोर्नर,
असारवा, अहमदाबाद-३८००१६ मो.: 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर